

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/से0पू0/जोन-बीकानेर/2024/ 332

दिनांक : 30/04/24

आदेश

श्री कालूराम चौबे, वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजजन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु जिनकी जन्म तिथि 06.06.1969 है का राज्य सेवा में रहते दिनांक 13.03.2024 को स्वर्गवास हो गया है, का नाम दिनांक 13.03.2024 से राज्य सेवा से पृथक/विलोपित किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री कालूराम चौबे, वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजजन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से0पू0/जोन-बीकानेर/2024/ 332

दिनांक : 30/04/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर। उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, चूरु। अन्य कोई वसूली बकाया
3. जिला प्रजजन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु। हो तो उसकी वसूली
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।
5. स्व0 श्री कालूराम चौबे, वरिष्ठ सहायक के परिवारजन को सूचनार्थ।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6875536

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :30-04-2024 05:30:06